12 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

[The Deputy Chairman in the Chair]

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, I gave a notice of privilege against Shri Gopalsamy... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: First let me finish papers to be laid on the Table.

I. Report and Accounts (1989-90) of the Childrens' Film Society India, Bombay and related papers.

II. Report of Justice Harbans Singh Rai Commission of Inquiry re. the death of Shri Jagdev Singh Khudian, Member of Lok Sabha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Children's Film Society India, Bombay, for the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT—2239/91 for (a) to (c)]

(ii) Report of Justice Harbans Singh Rai Commission of Inquiry to enquire into the circumstances which lead to the death and the cause of death of Shri Jagdev Singh Khudian, Member of the Lok Sabha, together with Memorandum of Action taken thereon. [Placed in Library. *See* No. LT—2177/91]

I. Accounts (1989-90) of the Annual Accounts of the Employees State Insurance Corporation, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad and related papers.

III. The Employees' Deposit linked Insurance (Second Amendment) Scheme, 1990

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामजी लाल सुमन । महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

I. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन 1989–90 के वर्ष के लिये कर्मचारी राज्य बीमा, निगम नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सं० एल टी० 2181/91]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

(i) 1989–90 के वर्ष के लिये नेशनल इनस्ट्यूट फार दी मैंटली हैन्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद का छठा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं, पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(ii) इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण । [पुस्तकालय में रखी गयी) (i) से (iii) के लिए देखिए सं० एल टी० 2182/91]

III. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी निक्षेप सहबंद्ध बीमा (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1990 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० सं० 30, दिनांक 12 जनवरी, 1991 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सं० एल० टी० 2179/91]